

बाल संसद का गठन



कक्षा-शिक्षण में आने वाली बाधा, नामांकन के पश्चात विद्यालय में बच्चों का नियमित न आना, विभिन्न प्रकार की रैलियों के सम्बन्ध में चर्चा, बच्चों के ड्राप आउट दर को शून्य करना, कक्षा 05 से 06 एवं कक्षा 08 से 09 में अवस्थान्तर आदि बिन्दुओं पर चर्चा के माध्यम से रणनीति बनाकर सुव्यवस्थित ढंग से कार्य का सम्पादन करने में सुविधा होती है।

- ✶ साप्ताहान्त अपने सहयोगियों (स्टाफ) के साथ बैठक कर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों/बिन्दुओं के सम्बन्ध में चर्चा करें एवं बैठक का कार्यवृत्त एक रजिस्टर में अंकित करें जिसे समय-समय पर निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा अवलोकित किया जायेगा।
- ✶ सहयोगियों (स्टाफ) के साथ "बेस्ट प्रैक्टिसेज" सराहनीय कार्य/नवाचार को साझा करें।

© विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक-

- ✶ प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जाये एवं बैठक की कार्यवृत्त, पंजिका में अंकित हो।
- ✶ बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाये जिससे समस्त सदस्य समस्या/चुनौती/सराहनीय कार्य से भिन्न हों।

© बाल संसद... "मेरा विद्यालय, मेरी नजर से"-

छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, इस हेतु बच्चों में दायित्व बोध उत्पन्न करने के साथ ही उनमें लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा की भावना का प्रसार करना आवश्यक है। यदि छात्र सामूहिकता के महत्व को समझ जायेंगे तो आजीवन उनमें "अहं" के स्थान पर सामुदायिक सहभागिता की भावना जागृत होगी। कदम से कदम मिलाकर चलना सीखने के साथ ही साथ उनकी अभिव्यक्ति मुखर होगी एवं उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। विद्यालयों में बाल संसद का गठन छात्र-छात्राओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनायेगा। व्यक्तिगत कौशल के संवर्द्धन हेतु बाल संसद का प्रयोग स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

बाल संसद का गठन-

प्रा०/उ०प्रा०वि० का नाम.....न्याय पंचायत का नाम.....विकास खण्ड का नाम.....

बाल संसद के प्रधानमंत्री का नाम.....उप-प्र०मं०का नाम.....अध्यक्ष का नाम.....उपाध्यक्ष का नाम.....

क्र.सं.	विभाग एवं सदन का नाम	सदन प्रमुख (मंत्री) का विवरण		सदन उप-प्रमुख (उपमंत्री का वि०)		सदन में बच्चों की संख्या			सदन के उत्तरदायित्व व कार्य
		छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	बालक	बालिका	योग	
1	गृह विभाग								सभी समितियों का कार्य समन्वय
2	शिक्षा विभाग								अखबार, सूचनापट, टी०एल०एम० व संग्रहालय
3	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग								पर्यावरण की स्वच्छता, नाखून व ड्रेस की स्वच्छता
4	खोया-पाया विभाग								खोई वस्तुओं को उपयुक्त छात्र तक पहुंचाना
5	मिड-डे-मील विभाग								भोजन पूर्व हाथ धुलवाना व मिड-डे-मील गुणवत्ता
6	पुस्तकालय एवं विज्ञान विभाग								बाल पत्रिका लिखना व पुस्तकों को व्यवस्थित रखना
7	खेल-कूद विभाग								व्यायाम, पी०टी० व आसन कराना, खेल की वस्तुओं को व्यवस्थित रखना
8	सांस्कृतिक विभाग								प्रार्थना, बाल सभा आदि का आयोजन करना

RAJKUMAR KANCHAUSI BAZARAURAIYA - 9760712529

बाल संसद गठन -

आज दिनांक प्राथमिक विद्यालय
विकास खण्ड जनपद में
बाल संसद का गठन किया गया ।

संसद के गठन हेतु बैठक में समस्त स्टाफ व छात्र /छात्राओं ने प्रतिभाग किया । जिसमे विभिन्न विभाग व उप विभाग बनाकर उनके प्रमुख व उप प्रमुख छात्र /छात्राओं का चयन किया गया तथा समस्त छात्र /छात्राओं को बाल संसद से सम्बंधित कार्यों व गतिविधियों से अवगत काराया गया ।

बैठक की अध्यक्षता श्री प्रधानाध्यापक द्वारा की गयी
बाल संसद के प्रमुख विभागों का वर्णन निम्नलिखित है ।